



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 केंद्रीय विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

पत्रांक:- प्रनि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-१/प्रोन्नति

दिनांक

.07.15

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय विनियमावली-१९७० यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थायी एवं अनुमोदित पदस्थिति में आशुलिपिक श्रेणी-३ के पद पर सेवारत अधोनामित कार्मिकों को उनके पदभार ग्रहण तिथि से आशुलिपिक श्रेणी-२ के पद पर वेतन बैण्ड-१ रु० ५२००-२०२० में ग्रेड-पे रु० ३००० में प्रोन्नति करके उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-५ के नीचे अंकित क्षेत्र में एतदद्वारा आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं	कार्मिक का नाम/पदनाम	जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पदस्थिति में आवंटित क्षेत्र	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेश चन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव	10.07.59	विठ्ठलकार्यालय, कानपुर	कानपुर क्षेत्र	रिक्त पद के विरुद्ध
2	श्रीमती सरिता त्रिपाठी पत्नी श्री पी०के० त्रिपाठी	05.08.65	विठ्ठलकार्यालय, कानपुर	कानपुर क्षेत्र	रिक्त पद के विरुद्ध
3	श्री निर्वल्लभ शर्मा पुत्र श्री नर्थीलाल गौतम	02.05.59	विठ्ठलकार्यालय, फिरोजाबाद	आगरा क्षेत्र	रिक्त पद के विरुद्ध
4	श्री रमन लाल पुत्र स्व० श्री मथुरा प्रसाद	06.01.56	प्र०नि०य आगरा (सम्बद्ध) विठ्ठलकार्यालय, मथुरा	आगरा क्षेत्र	रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त आशुलिपिक श्रेणी-३ से आशुलिपिक श्रेणी-२ के पद पर प्रोन्नति आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किये जा रहे हैं :-

1. उपरोक्त नामित पदधारियों में से किसी कार्मिक/कार्मिकों के विरुद्ध निम्न में से किसी एक या अधिक बिन्दुओं पर अनुशासनिक कार्यवाही/सर्तकता जाँच/अभियोजन लम्बित हो तो कार्मिक पदोन्नति हेतु अनुप्रयुक्त समझा जायेगा। पदधारी/पदधारियों को प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति पदस्थिति में पदभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

(क) सर्तकता की कोई खुली जाँच तो नहीं चल रही है।

(ख) प्रशासनाधिकरण को उनके विरुद्ध कोई मामला सुपुर्द तो नहीं किया गया है।

(ग) कोई विभागीय कार्यवाही तो नहीं चल रही है।

(घ) कोई अभियोजन तो नहीं चल रहा है।

2. उपरोक्त नामित क्रमांक १ से ४ पर अंकित आशुलिपिक श्रेणी-२ के पद पर प्रोन्नति पाये कार्मिक जिनके विरुद्ध क, ख, ग एवं घ में से किन्हीं एक भी बिन्दु पर कोई कार्यवाही न चल रही हो तो उन्हें पत्र निर्गत की दिनांक से विलम्बतः एक माह तक प्रोन्नति पद स्थिति में पदभार ग्रहण करना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में उनके प्रोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेंगे तथा जिसके लिये अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं भविष्य में उन्हें प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति के लिये विचारित नहीं किया जायेगा।

उक्त नामित पदधारियों की प्रोन्नति/तैनाती के कारण उन्हें नियमानुसार यात्रा-भत्ता एवं पदभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- ७११३-प्रनि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-१/तददिनांक १६.०७.१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०विठ्ठलकार्यालय, आगरा/कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त कार्मिकों की तैनाती कर इस कार्यालय को अवगत करायें एवं प्रोन्नत पद स्थिति में नवतैनाती स्थान पर योगदान की तिथि से भी अवगत करायें।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०विठ्ठलकार्यालय, अलीगढ़/झांसी/बांदा।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, कानपुर/फिरोजाबाद।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मथुरा।
- अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, द०विठ्ठलकार्यालय, आगरा।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

(अशोक कैम)
अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन)